16 10/23

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 10.10.2023 को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा में दिनांक 26.02.2021 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के पश्चात प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा जब राजस्व रिकार्ड में अपने हक व हिस्से की आराजी बाबत् अपना नाम अंकित करवाने की कार्यवाही की गई, तब प्रार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित नहीं करवा पा रहा है तथा अपने विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है इसलिए प्रार्थी द्वाा अपने अभिभाषक से दिनांक 15.09.2023 को सम्पर्क कर आक्षेपित आदेश के विरूद्ध वैधानिक उपचार बाबत् राय मशवरा किया। जिस पर अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को आक्षेपित आदेश के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को आक्षेपित आदेश के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय प्रदान की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2023 को आक्षेपित आदेश एवं आवश्यक दस्तावेजों को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 18.09.2023 को प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतियॉ व प्रकरण सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थी दिनांक 26.09.2023 को अजमेर आया तथा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, जो सद्भाविक होकर क्षमा किए जाने योग्य है। मियाद अधिनियम का बिन्दु एक तकनीकी बिन्दु है तथा प्रस्तुत अपील को तकनीकी बिन्दु पर नहीं देखा जाकर गुणावगुण पर देखा जाना न्यायहित में आवश्यक है, कानूनन भी अपील प्रस्तुत करने में कोई समयावधि नहीं है। मियाद कानून प्रक्रियात्मक कानून है जो न्याय प्रदान करने के लिए है, न्याय का हनन करने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी का प्रकरण गुणावगुण पर बनता है एवं यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किए जाने योग्य हो तो उसे मियाद के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2021 की आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल मजाहमत उत्पन्न कर रहे है। तथा प्रार्थी अपने हक व अधिकारों की आराजी से वंचित हो रहा है तथा अपने विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से भी वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी को अपार क्षति कारित हो रही है। साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपने पक्ष में बताया अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2021 की पालना एवं प्रभाव व कियान्विति स्थगित कि जाए।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 13/2021 अनिता बनाम रामनारायण एवं अन्य का अवलोकन किया गया। दिनांक 26.2.2021 को वर्तमान अप्रार्थी एक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई के बाद अन्य खसरा नम्बरों के साथ विवादित खसरा नम्बर 2021/1895 रकबा 3.1300 है0 ग्राम मांगलवाडा तहसील मौजमाबाद बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादित भूमियों की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत आदेश जारी किया गया था। दिनांक 25.01.2022 को वर्तमान

16/10/2023
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

प्रार्थी चरणसिंह एवं सीता पुत्री रंगलाल द्वारा की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया है। दिनांक 12.9.2023 तक उक्त जवाब पर कोई बहस नहीं की जाकर कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में यही निवेदन किया है कि उक्त विवादित आदेश की वजह से नामांतरकरण नहीं खुलने से उन्हें आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई है, तथा यह भी अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बाद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। इस वजह से दिनांक 15.9.2023 को अपने अभिभाषक से संपर्क कर विधिक राय प्राप्त की गई इसी दिनांक को नकल हेतु आवेदन प्राप्त कर दिनांक 18.9.2023 को नकल प्राप्त की गई। दिनांक 26.9.2023 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। साथ ही अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि मियाद अधिनियम प्रकियात्मक कानून है जो न्याय प्रदान करने के लिए है न्याय का हनन करने के लिए नहीं है तथा अपील को तकनीकि बिंदु पर न देखा जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाए। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाए।

यह सही है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किए बाद अधीनस्थ न्यायालय के 212 के प्रार्थना पत्र में कोई प्रभावी कार्यवाही जवाब प्राप्त होने के बाद नहीं कि गई उनके द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2021 की प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.9.2023 तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाकर वहां 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया। अपीलांट के पास अपील के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। न्यायालय प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहेगा। यह बात भी सही है कि मियाद अधिनियम प्रकियात्मक कानून है जो न्याय प्रदान करने के लिए है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/2021 अनिता बनाम रामनारायण एवं अन्य में दिनांक 26.2.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित प्रोसिडिंग अंकित की गई है। " वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया एवं न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम गणेशपुरा व मांगलवाडा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे क्योंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्ट पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जाए। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जारी होकर दिनांक 26.4.2021 को पेश हो।

विचाराधीन प्रकरण के साथ विवादित भूमि बाबत दो अन्य पत्रावलियां चरणसिंह बनाम रामनारायण प्रकरण संख्या 292 एवं चरणसिंह बनाम रामनारायण 294 भी न्यायालय में विचाराधीन है। वकील अपीलांट ने इन तीनों पत्रावलियों की बहस एक साथ सुनने पर निवेदन किया इनके आग्रह पर तीनों पत्रावलियों की बहस एक साथ सुनी गई। वर्तमान पत्रावली में रेस्पोडेंट अनिता देवी द्वारा दिनांक 26.2.2021 को ग्राम गणेशपुरा व मांगलवाडा से संबंधित विवादित भूमियों बाबत अंतरिम अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। उक्त पत्रावली में वर्तमान अपीलांट चरण सिंह द्वारा अपना जवाब दिनांक 25.1.2022 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। मगर प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 13/2021 के अनुसार दिनांक 12.9.2023 तक उक्त प्रार्थना पत्र 212 पर अंतिम निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है। जबकि अपीलांट का यह कहना है कि मांगलवाडा की विवादित भूमि खसरा नम्बर 2021/1895 रकबा 3.13 है0 खाता संख्या 225 रंगलाल पुत्र छीतर द्वारा स्वअर्जित भूमि थी तथा रंगलाल के द्वारा उक्त भूमि चरण सिंह एवं शिवराज को दिनांक 28.10.2016 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से विकय कर दी है जिसका नामांतरकरण ग्राम-पंचायत द्वारा केताओं के नाम पर नहीं खोलकर रंगलाल के सारे वारिसों के नाम खोला गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी दूदू में की गई थी जहां उसकी अपील स्वीकार कर ली गई है। उपखण्ड

16.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधिकारी दूदू की अपील विपक्षी द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय जयपुर में की गई जो वहां से खारिज कर दी गई है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट आपस में एक ही परिवार के सदस्य होकर भाई भाई है। मूल पुरूष छितर था जिसके रंगलाल, हिरा, काना, हजारी, रामरत्न और रामदयाल पुत्र हुए थे। रंगलाल के पत्नी रामकन्या थी जिसकी मौत हो चुकी है तथा इसके पुत्र जवाहर रामनारायण, हनुमान, चरणसिंह, शिवराज एवं पुत्री सीतादेवी है। रंगलाल की संपत्ति का विवाद है। रेस्पोडेंट का यह मानना हैं कि रंगलाल ने अकेले के नाम विरासत से भूमि अपने नाम करवाई है। उक्त भूमियां तीन अलग अलग गावं में गणेशपुरा, डोगरा एवं मांगलवाडा तहसील मौजमाबाद में है। उक्त तीनों भूमियां रंगलाल के नाम बताई गई है। गावं गणेशपुरा व डोगरा की भूमियों में कोई विवाद नहीं है। सिर्फ मांगलवाडा की भूमियों बाबत विवाद है। मांगलवाडा की भूमि स्वयं रंगलाल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद की गई थी। रंगलाल से भूमि चरण सिंह एवं शिवराज ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 28.10.2016 को कय की ग्राम पंचायत में उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र से नामांतरकरण द्वारा नाम खुलवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना की थी मगर ग्राम पंचायत द्वारा चरणसिंह व शिवराज के नाम खोलने के बजाए रंगलाल के सारे वारिसों के नाम नामांतरकरण खोल दिया। जबकि उसे सिर्फ चरणसिंह व शिवराज के नाम ही नामांतरकरण खोलना था क्योंकि इनके द्वारा ही भूमि कय की गई थी। गलत नामांतरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय दूदू में रामकन्या द्वारा भी की गई तथा एक अपील चरणसिंह द्वारा भी की गई। उक्त दोनों अपीलों को समेकित कर दिनांक 18.1.2021 को हमारी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। इसकी अपील फिर रेस्पोडेंट द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय जयपुर में की गई जहां इनकी अपील खारिज कर दी गई। हनुमान रंगलाल का वारिस था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चरणसिंह थांवला नागौर में रहता है जबकि शिवराज फौज में नौकरी करता है। नामांतरकरण की अपीलें इनके विरूद्ध निस्तारित हो चुकी है मगर अबतक यह राजस्व मण्डल में नहीं गए हैं। रेस्पोडेंट द्वारा हमारे विरूद्ध तीन वादपत्र एवं 212 के प्रार्थना पत्र लगा रखे हैं। रामनारायण बनाम रंगलाल, जिसका प्रकरण संख्या 125/2016 उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.11.2016 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। हमारे जवाब प्रस्तुत किया हुआ है मगर अबतक 212 के प्रार्थना पत्र में अंतिम निस्तारण नहीं किया गया। उक्त वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अभी एसडीओ मौजमाबाद द्वारा सुने जा रहे है। जहां इसे 129/2023 नम्बर दिया गया है।

बहस बिंदुओं पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत 212 के प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिए गए जवाब का अवलोकन किया गया बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 7/2016 निर्णय दिनांक 18.1.2021 रामकन्या बनाम सरपंच एवं अन्य द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय दूदू एवं इसकी अपील एक अन्य प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर बनाम रामनारायाण बनाम संरपंच निर्णय दिनांक 23.1.2023 प्रस्तुत की है।

यह सही है कि रंगलाल से शिवराज एवं चरण सिंह ने विवादित भूमि विकय पत्र से खरीद की गई थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण सख्या 7/2016 में अपने निर्णय दिनांक 28.1.2021 में ग्राम पंचायत द्वारा रंगलाल के सभी वारिसों के नाम खोला गया नामांतरकरण 480 ग्राम पंचायत मांगलवाडा को गलत मानते हुए खारिज किया था । इसकी अपील भी रेस्पोडेंट रामनारायण द्वारा 51/2021 से की गई थी जिसे दिनांक 23.1.2023 को अपीलांट रामनारायण की अपील को खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 18.1.2021 को यथावत रखा। स्पष्ट है कि विवादित भूमि के विधिनुसार अपीलांट स्वामी है एवं उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर बनना पाया जाता है। उक्त भूमि दोनों न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में रंगलाल द्वारा स्वअर्जित भूमि मानी गई है तथा कयकर्ता होने से प्रार्थी का हक अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है वह अपनी कयशुदा भूमि का नामांतरकरण नहीं करवा पा रहा है साथ ही भूमि पर सरकार की योजनाओं से दिए जाने वाले लाभों से भी वंचित

16.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
नागौर

है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से प्रार्थी को विशद अनिष्ट हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर विचार किए बिना रेस्पोडेंट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कि गई है जो उचित नहीं है। भूमि कय कर लिए जाने से अपीलांट को खातेदार ही माना जाएगा और एक खातेदार के विरूद्ध टीआई जारी नहीं की जा सकती है ऐसा कई न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल की वृहद्ध पीठ द्वारा प्रकरण जगदीश बनाम भोपालाराम में दिए गए न्यायिक दृष्टांत के अनुसरण में दी गई गाईडलाइन की अवहेलना की है जो उचित नहीं हैं इस स्टेज पर न्यायालय यह उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं नियमों की अवहेलना किए जाने से एवं प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होने के बावजूद उसी के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि है जो उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.2.2021 की पालना एवं प्रभाव तथा कियान्विति को विवादित खसरा नम्बर 2021/1995 रकबा 3.13 है0 ग्राम मांगलवाडा की हद तक अंतरिम रूप से स्थगित किया जाता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर एक माह की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारण करे। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाएगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

16.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

श्री दीपक पारीक एडवो० अपील पेश की जो ... जाँच रिपोर्ट हेतु पेश हो
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
03/10/23

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील टी०ए० संख्या 293/2023 जिला दूदू

2023/293

चरणसिंह पुत्र रंगलाल, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

-- अपीलांट

बनाम्

2023/293
3/10/23

1. अनिता पुत्री हनुमान पत्नि अंकित, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. खुशबु पुत्री हनुमान पत्नि रामकिशन
3. विजेन्द्र पुत्र हनुमान
4. रामनारायण पुत्र रंगलाल
5. हनुमान पुत्र रंगलाल
6. जवाहरलाल पुत्र रंगलाल
7. शिवराज पुत्र रंगलाल
8. सीतादेवी पुत्री रंगलाल

   समस्त जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार मौजमाबाद।
10. उप पंजीयक मौजमाबाद।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय, दूदू दिनांक 26.2.2021 जो प्रकरण संख्या 13/2021 (128/2023) बउनवानी "अनिता बनाम रामनारायण" में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट निम्न रूप से निवेदन करता है :-